बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक– /पटना, दिनांक–
सं0सं0– 4तक0/अनुसूचित जनजाति प्रक्षेत्र/03/2018

प्रेषक,

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

अनौपचारिक रुप से परामर्शित

द्वाराः– आान्तरिक वित्तीय सलाहकार

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुसूचित जनजाति प्रक्षेत्र के युवा/युवतियों को उद्योग स्थापित करने हेतु विशेष प्रोत्साहन योजनान्तर्गत रु0 121.88 लाख (एक करोड़ इक्कीस लाख अठासी हजार रुपये) व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषयक राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य के अनुसूचित जनजाति प्रक्षेत्र के युवा/युवतियों को उद्योग स्थापित करने हेतु विशेष प्रोत्साहन योजनान्तर्गत रु0 121.88 लाख (एक करोड़ इक्कीस लाख अठासी हजार रुपये) व्यय की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देने के उदेश्य से अनुसूचित जनजाति युवाओं/युवतियों को उद्योग स्थापित करने में अभिरूची पैदा करने के उदेश्य से एक विशेष स्व–रोजगार सृजन हेतु आवश्यकता महसूस की जा रही हैं, जिसका क्रियान्वयन ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को सृजित करना है, ताकि रोजगार वृद्धि दर को बढाने में इनका सहयोग प्राप्त किया जा सके। विगत वर्षों से यह देखा जा रहा है कि अनुसूचित जनजाति के लाभुको के लिये जो राशि राज्य सरकार द्वारा उपबंध की जाती हैं। उसका ब्यय नहीं हो पाता है। फलस्वरूप राशि को सरकारी कोष में जमा करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को नये रोजगार का सृजन को ध्यान में रखते हुए इसका क्रियान्वयन जरूरी समझा गया है।

अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा स्व–रोजगार हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिये कोलेट्रॉल सेक्युरिटी (प्रतिभूति) एवं मार्जिन मनी हेतु राशि नहीं रहने के कारण संबंधित प्रक्षेत्र के लाभुकों का ऋण स्वीकृत नहीं हो पाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उद्योग विभाग, बिहार, पटना के द्वारा राज्य के अनुसूचित जन जाति के युवा एवं युवतियों को उद्योग स्थापित करने हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना लागू की जा रही है। इसके अन्तर्गत संबंधित प्रक्षेत्र के सदस्यों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) का 50 प्रतिशत ब्याज मुक्त ऋण तथा 50 प्रतिशत विशेष प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अनुदान/सब्सिडी उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त परियोजना अनुश्रवण समिति (PMA) सहायता तथा कौशल विकास सहायता के लिए प्रति इकाई रू0 25,000/– अनुदान दिया जायेगा। इस योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट द्वारा की जायेगी।

3. इस योजना अन्तर्गत प्रति इकाई रु0 10.00 (दस) लाख तक की परियोजना लागत पर स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा प्राप्त की जायेगी।

4. इस योजनान्तर्गत उद्योग स्थापित करने वाले लाभुकों की योग्यता निम्न होगी :–

i. बिहार के निवासी हो।
ii. अनुसूचित जनजाति वर्ग के अनतर्गत हो।
iii. कम–से–कम 10+2 या इन्टरमीडियट या समकक्ष उतीर्ण हो।
iv. 18 वर्ष अथवा इससे अधिक उम्र के हों।
v. इकाई में उपरोक्त पात्रता (क्रमांक–i - iv) रखने वाले कम–से–कम दो व्यक्ति होंगे।
vi. इकाई Companies Act -2013 के तहत निबंधित Pvt.Ltd.Company अथवा LLP हो।

5. इस योजनान्तर्गत लाभार्थियों का चयन प्रधान सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा जो निम्न प्रकार है :–

i.	प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना	– अध्यक्ष
ii.	निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय	– सदस्य–सह–सचिव
iii.	उद्योग निदेशक, बिहार, पटना	– सदस्य
iv.	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य वित्त निगम, पटना	– सदस्य
v.	विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार	– सदस्य
vi.	उप उद्योग निदेशक, योजना प्रभारी	– सदस्य

6. इस योजनान्तर्गत उद्योग स्थापित करने वाले लाभुकों को कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत ब्याज रहित ऋण स्वीकृत की जायेगी तथा इसकी वसूली बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट द्वारा 84 सामान किस्तों में की जायेगी। प्रथम किस्त परियोजना स्वीकृति के 01 वर्ष के उपरान्त देय होगी। योजना का शेष 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में स्वीकृत की जायेगी। कुल परियोजना लागत 50:50 के ऋण एवं अनुदान में होगा। इसके अतिरिक्त परियोजना अनुश्रवण समिति (PMA) सहायता तथा कौशल विकास सहायता के लिए प्रति इकाई रू0 25,000/– अनुदान दिया जायेगा। इस योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट द्वारा की जायेगी।

7. इस राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2852–उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–08, लघु शीर्ष– 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष–0101–आर्थिक सहायता, विपत्र कोड–23–2852087960101, विषय शीर्ष–0101.31.05, सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण मद में रु0 50.00 लाख एवं विषय शीर्ष–0101.33.01 सब्सिडी मद में रु0 71.88 लाख अर्थात कुल रु0 121.88 लाख बजट उपबंध में उपबंधित राशि से की जायेगी।

8. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक निदेशक (तक0), तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होगें, जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की अग्रिम निकासी कर बैंक ड्राफ्ट के रूप में बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट को उपलब्ध करायेंगे। वित्त विभागीय पत्रांक– 8244 दिनांक–02.08.10 एवं 500 दिनांक–18.01.11 में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. इस योजना के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना होगें, जो इसका अनुश्रवण करेंगे। योजना के व्यय से सम्बन्धित व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट से प्राप्त कर समुचित जॉचोपरांत प्रतिहस्ताक्षरित कर महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना को प्रेषित करते हुए उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

10. इस राज्यादेश में संचिका संख्या– 4तक0/अनुसूचित जनजाति प्रक्षेत्र/03/2018 के पृ0–06/टि0 पर दिनांक 20.03.2018 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

11. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

12. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 8003 वि (2), दिनांक 18.09.2008 में निहित पत्रांक–2561 वि (2) दिनांक 17.04.1998 के कंडिका–2, पत्रांक–2938 वि (2) दिनांक 08.04.2008 के आलोक में किया जायेगा तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनश्चित किया जाएगा।

13. वित्त विभागीय पत्रांक 7355/वि(2), दिनांक 05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

विश्वासभाजन,

ह0/–

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–...../पटना, दिनांक–.....
सं0सं0– 4तक0/अनुसूचित जनजाति प्रक्षेत्र/03/2018
प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–...../पटना, दिनांक–.....
सं0सं0– 4तक0/अनुसूचित जनजाति प्रक्षेत्र/03/2018
प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक (तक0)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–...../पटना, दिनांक–.....
सं0सं0– 4तक0/अनुसूचित जनजाति प्रक्षेत्र/03/2018
प्रतिलिपिः– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–480/पटना, दिनांक–26.03.18
सं0सं0– 4तक0/अनुसूचित जनजाति प्रक्षेत्र/03/2018
प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षक), बिहार, पटना/ वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशाखा–1 (सरकार) योजना, उद्योग विभाग/योजना शाखा, उद्योग विभाग को 05 अतिरिक्त प्रतियों में/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

(10)